WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042024-253629
CG-DL-E-09042024-253629

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]	नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 9, 2024/चैत्र 20, 1946
No. 103]	NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 9, 2024/CHAITRA 20, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2024

सं. 02/2024

विषयः तरबूज के बीज की आयात निगरानी प्रणाली (एमएस–आइएमएस) के कार्यान्वयन के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/14/एएम 21/पीसी–2(क)/ई–28288.—समय–समय पर संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैराग्राफ 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना 05/2023 दिनांक 05.04.2024 के संदर्भ में, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा तरबूज के बीज की आयात निगरानी प्रणाली (एमएस–आइएमएस) के तहत आयात खेपों के पंजीकरण के लिए प्रक्रियाओं को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं:–

i. आयातक एमएस–आइएमएस के तहत डीजीएफटी बेवसाइट >*सेवाएं > आयात प्रबंधन प्रणाली > आयात निगरानी प्रणाली के तहत सेवाएं > तरबूज के बीज और पीली मटर आयात निगरानी प्रणाली पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।* आयातक को एमएस–आइएमएस में अग्रिम जानकारी देने और 500/– रुपये के ऑनलाइन भुगतान पर एक स्वचालित पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी।

ii. संबंधित आयातक (आयातकों) को लदान बिल (पोतलदान किया गया) की तारीख से 10 (दस) दिनों के भीतर एमएस–आइएमएस पंजीकरण करना होगा।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

iii. 1 स्वचालित पंजीकरण संख्या केवल 1 विशिष्ट उद्‌गम देश और 1 आयात पत्तन के लिए ही वैध होगी। दी गई स्वचालित पंजीकरण संख्या आयात खेपों की कितनी भी संख्या के लिए वैध होगी।

iv. लदान बिल (पोतलदान किया गया) विवरण एमएस–आइएमएस पंजीकरण में घोषित किया जाएगा। एकल एमएस–आईएमएस पंजीकरण के तहत अनेक लदान बिलों (पोतलदान किए गए) का विवरण विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

v. पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान लदान बिलों (पोतलदान किए गए) की सभी प्रतियां अनिवार्य रुप से अपलोड की जानी चाहिए। आयातक उक्त लदान बिल की प्रतियों पर निर्यातक विवरण को छिपाने का विकल्प चुन सकता है।

2. आयात निकासी के समय, संबंधित आयातक (आयातकों) को एफएसएसएआइ आदेष आरसीडी–12005/1/2021–नियामक–एफएसएसएआइ–भाग (2) (ई–1638) दिनांक 15.03.2024 के अनुरुप तरबूज के बीज के लिए एक वैध एफएसएसएआइ विनिर्माता लाइसेंस के साथ एमएस–आइएमएस स्वचालित पंजीकरण संख्या विवरण संबंधित सीमाशुल्क पत्तन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः तरबूज के बीज के आयात के लिए आयात निगरानी प्रणाली (एमएस–आइएमएस) के तहत पंजीकरण के लिए समयसीमा और प्रक्रियाएं अधिसूचित की गई हैं।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th April, 2024

No. 02/ 2024

Subject: Implementation of Melon Seeds Import Monitoring System (MS-IMS)-reg.

F. No. 01/89/180/14/AM21/PC-2(A)/E-28288.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, and in reference to Notification 05/2023 dated 05.04.2024, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the procedures for registration of import consignments under Melon Seeds Import Monitoring System(MS-IMS) as follows :–

i. The importer may apply under MS-IMS online on the *DGFT Website -> Services -> Import Management System -> Services under Import Monitoring System -> Melon Seeds & Yellow Peas Import Monitoring System.* The importer on submission of advance information in MS-IMS and on online payment of Rs. 500/-, shall be issued an Automatic Registration Number.

ii. The concerned Importer(s) shall undertake MS-IMS registration within 10 (ten) days from the date of Bill of Lading(Shipped on Board).

iii. 1 Automatic Registration Number shall be valid for 1 specific country of Origin and 1 Port of Import only. Automatic Registration Number granted shall be valid for any number of import consignments.

iv. Bill of Lading (Shipped on Board) details shall be declared in the MS-IMS registration. Multiple Bills of Lading (Shipped on Board) details may be specified under a single MS-IMS registration.

v. All copies of Bills of Lading (Shipped on Board) should be mandatorily uploaded during the registration process. The Importer may choose to mask the Exporter details on the said Bills of Lading copies.

2. At the time of Import clearance, the concerned Importer(s)are required to submit the MS-IMS Automatic Registration Number details, along with a valid FSSAIManufacturer Licence for Melon Seeds in line with FSSAI Order RCD-12005/1/2021-Regulatory-FSSAI-Part(2) (E-1638) dated 15.03.2024,to the concerned Customs Port Authorities.

Effect of this Public Notice: Timelines and Procedures for registration under the Import Monitoring System (MS-IMS) for import of Melon Seeds are notified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.